



क्रमांक: एक4 (888)आकाशि/नि.सं./2013/1153

दिनांक:- 14.9.2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यापने निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातक स्तर पर निम्नलिखित संकाय /विषय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
के.आर. गंगोशियल, शिक्षण संस्थान, साहवा, तारानगर, बुरु।	प्रेरणा गल्लं कॉलेज, साहवा, तारानगर, बुरु।	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीतिविज्ञान।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करेगी।
2. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चला गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था सम्बंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.एस.ई.ओ. से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा स्थापित जमा तसि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हतापरी प्रयोग एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अधोक्षमिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था सरकार व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. यदि संस्था की भूमि शैक्षिक प्रयोजनार्थ खपान्वरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में पूरा रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
12. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी नुस्तिष्क एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishc.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी डाई कॉपी आगामी 15 दिवस में निदेशालय में प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित फो सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, बुरु।
5. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. सचिव, सम्बंधित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (शिक्षा)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर